कार्यालय महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी

(पुराना स्वराज भवन सीधी)

पत्र क्रमांक 236 / तक. / ग्रासविप्रा / 2021

सीधी, दिनांक 03 / 01 / 2021

प्रति,

वन मण्डला अधिकारी,
जिला–सीधी (म.प्र.)

विषय :– **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मयापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी माग (पैकज क्रमांक एम.पी. 41209) में प्रभावित वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के समतुल्य ग्राम खुटेली में आराजी नंबर 460 रकबा 1.68 हे. उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि में कब्जा प्राप्त करने एवं प्राप्त गैर वन भूमि का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रस्तुत करने बाबत। Proposal No. FP/MP/ROAD/51020/2020.**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 7540 सीधी, दिनांक 31.12.2020

—00—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है, कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी, (पैकज क्रमांक एम.पी. 41209) में प्रभावित वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के समतुल्य गैर वन भूमि माननीय न्यायलय कलेक्टर जिला सीधी के आदेश प्रकरण क्रमांक 001 / अ–19(/2020 सीधी, दिनांक 03.06.2020 द्वारा ग्राम खुटेली में आराजी नंबर 460 रकबा 1.68 हेक्टेयर गैन वन भूमि वन विभाग सीधी को हस्तांतरित किया गया था जिसका सीमांकन दिनांक 23.12.2020 को वन परिक्षेत्राधिकारी बहरी एवं राजस्व अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति में मौके से कराया गया, जिसमें 1.68 हेक्टेयर के विरुद्व मात्र 1.06 हेक्टेयर भूमि पायी गई। मौके से पंचनामा तैयार किया गया। उक्त स्थल पर कुछ भूमि में अतिक्रमण भी है, जिसमें अरहर की फसल बोई गई है। इस प्रकार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैर वन भूमि 1.68 हेक्टेयर के विरुद्व 0.62 हेक्टेयर गैर वन भूमि कम होने के कारण मौके से वन विभाग द्वारा कब्जा प्राप्त नही किया जा सका, तत्संबंध मे अवगत कराया जाता है, कि तहसीलदार बहरी, जिला सीधी के आदेश क्रमांक 0069 / अ–74 / 2020–21 आदेश दिनांक 21.01.2021 के द्वारा उक्त भूमि कुल रकबा 1.68 हेक्टेयर वनलमण्डलाधिकारी वन मण्डल सीधी के नाम रिकार्ड अद्यतन कर हस्तांतरित की गयी है एवं मौके से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई, जिसका स्थल पंचनामा दिनांक 01.02.2021 तैयार कराया गया है।

अतः अनुरोध है, कि मायापुर खुटेली लौआर रोड़ से बिछरी (पैकेज क्रमांक एम.पी. 41209) के वन क्षेत्र से गुजरने वाली लंबाई 2.80 कि.मी. में उन्नयन / डामरीकरण की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें ताकि ग्रामीणजनों को आवागमन की समुचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

संलग्न :– स्थल पंचनामा।

(महेश प्रताप सिंह परिहार)
महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

पृ. क्र. 237 तक / ग्रासविप्रा. / 2021

सीधी, दिनांक 03 / 02 / 2021

प्रतिलिपि :–
(1) प्रमुख अभियंता, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्राधि., पर्यावास भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
(2) मुख्य महाप्रबंधक रीवा, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. तानसेन काम्पलेक्स रीवा की ओर सादर सूचनार्थ।
(3) श्री अनिल कुमार तिवारी, उपयंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी की ओर लेख है, कि कार्यालय वन मण्डलाधिकारी सीधी, में संपर्क कर अनुमति प्राप्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

महाप्रबंधक
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (म.प्र.)

स्थल पंचनामा

आज दिनांक 01/02/2021 को ग्राम खुटेली अन्तर्गत श्रीमान कलेक्टर महो० के प्र० क्र० 01/अ-19(3)/2020X21 आदेश दिनांक 29/07/20 के द्वारा खुटेली की आराजी क्रमांक 460 रकबा 23.11 हे. में से कुल रकबा 1.680 हे. वनविभाग को स्थानान्तरित करने का आदेश हुआ था। जिसके परिपालन में तहसीलदार महो. नहरी के प्र० क्र० 0069/अ-74/2020X21 आदेश दिनांक 21/01/21 के द्वारा उक्त भूमि का कुल रकबा 1.680 हे. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल [illegible] के नाम रिकार्ड अद्यतन कर स्थानान्तरित की गयी। मौके में कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत की गयी। मौके पर प्रधानमंत्री रोड के सब इंजीनियर के समक्ष नक्शा खसरा व आदेश की प्रति डिप्टी रेंजर महो. को दी गयी।

स्थल पंचनामा मौके पर तैयार कर हस्ताक्षर कराया गया।

[illegible] 01/02/21
[illegible]

[illegible]
01-02-021

[illegible]
परिक्षेत्र सहायक
[illegible]

[illegible]

[illegible]